

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,
Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 54/12-294 दिनांक, चम्पावत 8-7-2015।

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाँऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय:- ज्वारनेडी से बुकसाड मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 9552/2015)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3056/11-1 दि० 25.06.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 तक की सूचना प्रेषित की गयी है जो कि संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में कम अवगत कराना है कि जनपद अल्मोडा का डाटा प्रोफाइल आनलाईन संशोधित कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु नोडल कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय

(ए.के.गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



पत्रांक 1725 /50सी

दिनांक 29 जून 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत, वन प्रभाग,
चम्पावत

विषय: ज्वारनैड़ी से बुकसाड़ मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 9552/2015)

सन्दर्भ: वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का पत्र सं० 3056/12-1 अल्मोड़ा,
दि० 25.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

1. प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव का औचित्य एवं आवश्यकता का विवरण पूर्व में **Additional attachments** में संलग्न किया गया है, (छाया प्रति संलग्न)।
2. वनाधिकार प्रपत्र के उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक में बैठक की तिथी अंकित करवा ली गयी है, (छाया प्रति संलग्न)।
3. लैण्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि) में त्रुटिवश मार्ग की चौड़ाई 7 मी० हो गयी है, जबकि मार्ग की वास्तविक चौड़ाई 9 मी० है। लैण्ड शेड्यूल में सुधार कर चौड़ाई 9.00 मीटर कर ली गयी है, (छाया प्रति संलग्न)।
4. यह बिन्दु लो०नि०वि० से संबन्धित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रोत्तर कार्यवाही करने कृपा करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार 3-3 प्रति

भवदीय


29/6/15
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



पत्रांक 1725 / 50सी

दिनांक 29 जून 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत, वन प्रभाग,
चम्पावत

विषय: ज्वारनैड़ी से बुकसाड़ मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 9552/2015)

सन्दर्भ: वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का पत्र सं० 3056/12-1 अल्मोड़ा,
दि० 25.06.2015

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

1. प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव का औचित्य एवं आवश्यकता का विवरण पूर्व में **Additional attachments** में संलग्न किया गया है, (छाया प्रति संलग्न)।
2. वनाधिकार प्रपत्र के उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक में बैठक की तिथी अंकित करवा ली गयी है, (छाया प्रति संलग्न)।
3. लैण्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि) में त्रुटिवश मार्ग की चौड़ाई 7 मी० हो गयी है, जबकि मार्ग की वास्तविक चौड़ाई 9 मी० है। लैण्ड शेड्यूल में सुधार कर चौड़ाई 9.00 मीटर कर ली गयी है, (छाया प्रति संलग्न)।
4. यह बिन्दु लो०नि०वि० से संबन्धित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 3-3 प्रति

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई— 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—2.1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

इस मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2454/111-मु०मं०घो०/05-07(प्र०आ०)/05 टी०सी० दि० 28.10.2005 के द्वारा 10.00कि०मी० की स्वीकृति प्राप्त है। यह प्रस्तावित मोटर मार्ग रिजर्व फॉरेस्ट भूमि, फॉरेस्ट पंचायत भूमि, सिविल बेनाप व नाप भूमि से होकर गुजरता है। ग्राम— सुरचौड़ा, पजैना, लड़ा, पिपली, बुकसाड़ में कोई भी मोटर मार्ग न होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई कि०मी० तक पैदल चलकर स्थानीय लोग रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों का अस्पताल, बाजार व स्थानीय उत्पादों को बाजार पहुँचाने की सुविधा प्राप्त होगी। इन ग्रामों में कोई मोटर मार्ग न होने के कारण स्थानीय लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं हैं। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग उपयुक्त है।


संरेखण न०—1(लाल रंग से):— इस संरेखण को नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में आरक्षित, वन पंचायत, सिविल वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 10.00 कि०मी० आती है।

संरेखण न०—2(नीले रंग से):— इस संरेखण को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में आरक्षित, वन पंचायत, सिविल वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित संरेखण सं० 2 में 6 हेयर पिन बेंड पड़ते हैं। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 9.00कि०मी० आती है।

इस संरेखण में नाप भूमि व वन भूमि अधिक प्रभावित हो रही है। जिसे मोटर मार्ग हेतु दिये जाने में स्थानीय जनता द्वारा आपत्ति की जा रही है। एवं संरेखण में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिस कारण संरेखण सं० 2 को निरस्त किया गया।

अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता, ढाल न्यूनतम वृक्षों की क्षति तथा आर्थिक व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संरेखण सं० 1(लाल रंग से) उपयुक्त पाया गया है इसी संरेखण पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तदनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया है। अतः लो०नि०वि० के पक्ष में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।


अमान
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



अधिशासक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी०

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित ज्वारनैणी- बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 4.8338 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


15.01.15
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा




जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No. MemoDated 15.01.15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **4.8388** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Provincial Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Jwarneri-Buksar Motor Road (10.00 km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Selpar, Surchora, Pajena, Buksar, Lara, Malli Pipli Village (s) in Jaiti tahsils.**

It is further certified that:

- (s) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **4.8338** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (t) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (u) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

Vmm
15.01.15

Signature
जिलाधिकारी,

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.8338 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above


 15.01.15
 Signature
 जिलाधिकारी,
 अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 अल्मोड़ा

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., Deputy Commissioner, Almora on date 15.01.15..... at time 4.00 P.M.... at Almora in which application claiming rights of works naming:-

- (1) **Construction of Jwarneri -Buksar Motor Road Length-10.00 km. (Selpar, Surchora, Pajena, Buksar, Lara, Malli Pipli area measuring 4.8338 Hect.)**
- (2) **Construction of Takoli Band to Badura Balma Motor Road Length-17.00 km. (Auli, Noura, Chatola, Balma, Badura, Bari, Matela, Thana Matena area measuring 10.0688 Hect.)** for of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

v v v v v
15.01.15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
जिलाधिकारी.
अल्मोड़ा
District Level Committee.

Dated:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिलपड़
तहसील जैती, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (1.3500 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.0775 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.4063 हे०) अर्थात् कुल 4.8338 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिलपड़ द्वारा दिनांक 5.12.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिलपड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव... 16.5.15
विकास खण्ड-लमगड़ा

12/11/15
A.S.1410
Lamgoda


ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत-सिलपड़

जि०ख० लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक 5/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सिलपड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बन्धु सिंह	बन्धु सिंह
2	बसन्ती देवी	बसन्ती देवी
3	केसर सिंह	केसर सिंह
4	ध्यान सिंह	ध्यान सिंह
5	रज सिंह	रज सिंह
6	देव सिंह	देव सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सिलपड़
विकास खण्ड-तमगड़ा जिला-अमृतसर


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-सिलपड़
ह0/-
वि० ख० लमगड़ा (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुरचोड़ा
 तहसील जे.टी., जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (1.3500 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.0775 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.4063 हे०) अर्थात् कुल 4.8338 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुरचोड़ा द्वारा दिनांक 3.12.11 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरचोड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत सुरचोड़ा
 विकास खण्ड-लमगाड़ा

AS No
 Lamgaada

श.प.प्र.
 प्रधान,
 ह० ग्राम पंचायत सुरचोड़ा
 विकास खण्ड लमगाड़ा
 जिला अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1

दिनांक 21.12.19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुन्दरपुरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	पान सिंह गौर	पान सिंह
2-	भवान सिंह	भवान सिंह
3-	दीनाराम	दीनाराम
4-	माधव सिंह गौर	माधव सिंह
5-	राम सिंह गौर	राम सिंह
6-	गुमान सिंह	गुमान सिंह
7-	पान सिंह	पान सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सुन्दरपुरा
विकास खण्ड-लमगड़ा जिला-अरमोड़ा

श्रीमान,
ग्राम प्रधान पंचायत सुरचोक
विकास खण्ड लमगड़ा
जिला अरमोड़ा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चिरातेनामिना
तहसील जेतो, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (1.3500 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.0775 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.4063 हे०) अर्थात् कुल 4.8338 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिरातेनामिना द्वारा दिनांक 11.12.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिरातेनामिना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास विभाग
ग्राम पंचायत चिरातेनामिना
विकास खण्ड-लमगड़ा जिला-अल्मोड़ा

12/11/14
A.S. 14/0
J. Amgoda

मुन्नीदेवी
स्थान
ग्राम पंचायत चिरातेनामिना
विकास खण्ड लमगड़ा
जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1

दिनांक 11.12.11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत चिरातमिती

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री कृष्ण राम	
2-	" उलाहा राम	
3-	" भुवन शर्मा	
4-	" चन्नी राम	
5-	" आनन्द राम	
6-	श्री गणेश शर्मा	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चिरातमिती
विकास खण्ड-लमगड़ा जिला-अल्मोड़ा

मुन्नी देवी
ग्राम प्रधान
विकास खण्ड लमगड़ा
जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुरखाला
तहसील ज.पी., जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (1.3500 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.0775 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.4063 हे०) अर्थात् कुल 4.8338 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुरखाला द्वारा दिनांक ५.12.१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरखाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सुरखाला
विकास खण्ड-लमगड़ा जिला-अल्मोड़ा

१२/१२/१५
A.S.M.O
Jamegare

गीता देवी
प्रधान,
ग्राम पंचायत सुरखाला
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक ५.१२.११ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~सुरसवास्त~~.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री गणपति	गणपति
2.	श्री मिश्रा	मिश्रा
3.	श्री बुध्वा	बुध्वा
4.	श्री मिश्रा	मिश्रा
5.	श्री जगत	जगत
6.	श्री मोहन	मोहन

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ~~सुरसवास्त~~
विकास खण्ड-लमगावा निगा-अमोदा

गीता देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सुरसवास्त
दिनांक ५.१२.११

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उडियारी
तहसील जेटी, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (1.3500 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.0775 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.4063 हे०) अर्थात् कुल 4.8338 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उडियारी द्वारा दिनांक 2.12.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उडियारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास
ग्राम पंचायत विकास
विकास खण्ड-लमगडा जिला अल्मोड़ा

12/12/14
12.12.14
Lamba

ग्राम प्रधान
श्री. अर्जुन
श्री. अर्जुन
ग्राम पंचायत उडियारी
पो० ओ० बुकसाड़
विकास खण्ड, लमगडा (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 2.12.19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायतउ.डियारी.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री पूरन सिंह	पूरन सिंह
2	" राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
3	" धरम सिंह	धरम सिंह
4	" विलोक सिंह	विलोक सिंह
5	" शिवराज सिंह	शिवराज सिंह
6	" मान सिंह	मान सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....उ.डियारी.....
विकास खण्ड-समगाड़ा जिला अजमेर

/-
ग्राम प्रधान
शुभदीप
ग्राम प्रधान,
ग्राम पंचायत उडवासी
पो० ओ० बरमवाड़ा
विकास खण्ड, समगाड़ा (अजमेर)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जे०

उपखण्ड जे० परिक्षेत्र के अन्तर्गत ज्वारनैणी- बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (1.3500 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.0775 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.4063 हे०) अर्थात् कुल 4.8338 हे० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जे०) की दिनांक 12.01.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल चव्वाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल चव्वाल उपजिलाधिकारी जे० अध्यक्ष
- 2- श्री महिपाल निरौडी उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत सदस्य
- 3- श्री भारत भूषण विष्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी लम्साड़ सदस्य/सचिव
- 4- श्री संदीप सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र सेल्वा चापड़ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 4.8338 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जे.टी. परिक्षेत्र के अन्तर्गत ज्वारनैणी- बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 4.8338 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा
जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा
जनपद-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-15

लैण्ड शेड्यूल(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई(मी०मे)	चौड़ाई (मी०मे)	क्षेत्रफल (हे०)
अल्मोड़ा	चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	देवीधुरा कक्ष	मोरनौला कक्ष सं० 7,6	1500	9	1.350 हे०

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

सहायक वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
लोहाघाट
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

वनक्षेत्राधिकारी
देवीधुरा वन प्रभाग
चम्पावत

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

21/11/11
20/11/11

अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा